न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) कपासन, जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी मणीलाल तीरगर (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या/654/2025 वाद

दायर दिनांक 06.08.2025

उनवान

1. उदयलाल पिता गोपीलाल जाति ओड आयु वयस्क निवासी ओड़ो का खेड़ा तहसील भूपालसागर जिला चित्तौड़गढ़।
2. गणीकुमार पुत्री केशुराम जाति ओड आयु वयस्क निवासी ओड़ो का खेड़ा तहसील भूपालसागर जिला चित्तौड़गढ़।

1. टमू पुत्री गोडा जाति ओड आयु वयस्क निवासी गोडा खेड़ा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
2. पृथ्वीराज पिता अमरा जाति ओड आयु वयस्क निवासी गोडा खेड़ा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
3. रतनलाल पुत्र गोडा जाति ओड आयु वयस्क निवासी गोडा खेड़ा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
4. शंकर लाल पुत्र लक्ष्मण जाति ओड़ आयु वयस्क निवासी गोडा खेड़ा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
5. हीरालाल पुत्र लक्ष्मण जाति ओड आयु वयस्क निवासी गोडा खेड़ा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
6. तहसीलदार, तहसील कपासन जिला चितौड़गढ़।

उपस्थितिः— अधिवक्ता श्री कृष्ण चन्द्र तुल्छिया —वादीगण
एकतरफा —प्रतिवादी सं0 1 से 5

—: वाद पत्र अन्तर्गत 53 आर.टी.एक्ट :—

निर्णय दिनांकः 17.09.2025

—:निर्णयः—

संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि वादीगण ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 के प्रस्तुत कर निम्न निवेदन किया कि मौजा गोडाखेडा पटवार हल्का जीतिया तहसील कपासन के हल्के बैरूनी में आराजी नम्बर 629, 630, 631, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 664, 742/624 कुल किता 18 कुल रकबा 6.38 हैक्ट0 स्थित है जो वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम चालू जमाबन्दी में संयुक्त खातेदारी में अंकित है। वादीगण व प्रतिवादीगण का संयुक्त कब्जा होकर संयुक्त काश्त करते है।

यह कि पक्षकारान का विवादित आराजीयात पर संयुक्त कब्जा होकर संयुक्त काश्त करतें है तथा उपज का हिस्सा भी करना पडता है इसलिये पक्षकारान के बिच विवाद बना रहता है वादीगण विवादित आराजीयात को लागत लगाकर विकसित करना चाहते है लेकिन प्रतिवादीगण इसके लिये तैयार नहीं होते है इसलिये वादीगण विवादित आराजीयात का समुचित उपयोग उपभोग नहीं कर सकते है इसलिये वादीगण विवादित आराजीयात का विभाजन करना चाहते है लेकिन वादीगण को प्रतिवादीगण समुचित जवाब नहीं देते है तथा इस साल भी दिनांक 30.06.2022 को आखिरकार विभाजन करने से मना कर दिया इसलिये विवादित आराजीयात का विभाजन करना आवश्यक हो गया है।

यह कि वादकारण दिनांक 30.06.2022 को पैदा होकर निरन्तर जारी है।

अन्त में प्रार्थना की कि

— पक्षवादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण के विभाजन की डिक्री इस अमर की जारी फरमाई जावें कि वादपत्र की कॉलम संख्या 1 में वर्णित विवादित आराजीयात जो वाके मौजा मोडाखेडा पटवार हल्का जीतिया तहसील कपासन के हल्के बैरूनी में स्थित है इस आराजीयात का विभाजन कराया जाकर

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक), कपासन

वादीगण का हिस्सा विभाजन में एक साथ रखा जाकर दोनो के नाम एक जमाबन्दी बनाई जाकर दोनो को उनके हिस्से में आने वाली आराजीयात का कब्जा साथ में दिलाया जाकर प्रतिवादीगण का उनका हिस्सा का विभाजन करा कर उक्त चालु जमाबन्दी में प्रत्येक के नाम उनका हिंस्सा की अलग अलग खातेदारी में अंकन कराया जाकर अलग अलग जमाबन्दी बनाई जावें तथा प्रत्येक प्रतिवादीगण को जो हिस्सा विभाजन में प्राप्त होता है उनको अलग अलग कब्जा दिलाने की कृपा करावे।

– अन्य दाद मुफिद वादीगण के हो प्रतिवादीगण से दिलाई जावें।

हमने वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। प्रतिवादीगण के बावजूद सूचना के हाजिर नहीं होने से पूर्व में दिनांक 30.01.2024 को एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। साक्ष्यवादी में वादी उदयलाल पिता गोपीलाल जाति ओड निवासी ओडो का खेडा तहसील भूपालसागर का शपथ पत्र प्रस्तुत हुआ। शपथग्रहिता वादी ने वाद पत्र के समर्थन एवं पुष्टि में जमाबन्दी की प्रमाणित फोटोप्रति प्रस्तुत की है, जो प्रदर्श–1 है।

उक्त वाद पत्र में दिनांक 27.08.2024 को प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिक्री जारी की गई। जिस पर तहसीलदार कपासन द्वारा बटवाडा रिपोर्ट दिनांक 15.05.2025 से प्रस्तुत की गई। बहस वादी अधिवक्ता सुनी गई। वकील वादी द्वारा तहसीलदार कपासन से प्राप्त बटवाडा रिपोर्ट अनुसार अंतिम डिक्री किये जाने में कोई आपत्ति प्ररतुत नही की व अंतिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया गया। अतः वादी अधिवक्ता के निवेदन को स्वीकार किया जाकर आज दिनांक 17.09.2025 को वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अन्तिम रूप से डिक्री इस आशय की दी जाती है की मौजा मोड़ाखेडा पटवार हल्का जीतिया तहसील कपासन के हल्के बैरूनी में आराजी नम्बर 629, 630, 631, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 664, 742／624 कुल किता 18 कुल रकबा 6.38 हैक्ट0 स्थित है में तहसीलदार कपासन से प्राप्त बटवाडा रिपोर्ट दिनांक 15.05.2025 के अनुसार निम्नानुसार बटवाडा किया जाता है–

1. उदयलाल पिता गोपीलाल जाति ओड हिस्सा 12500／15575 सा0 औडो का खेडा भूपालसागर खातेदार, गणीकुमार पुत्री केशुराम जाति ओड हिस्सा 3075／15575 सा0 देह खातेदार

क.स.	आ0स0	रकबा (है0)	किस्म
1	659／1	0.4636	चाही 1
2	658	0.2400	चाही 3
3	657／4	0.8539	पडत 2
योग	कुल किता–03	1.5575	

2. रतनलाल पिता मोड़ा जाति ओड हिस्सा 11775／15575 जाति ओड सा. देह खातेदार रहन PNB शाखा सिंहपुर, टमु पुत्री मोड़ा जाति ओड हिस्सा 3800／15575 सा0 देह खातेदार रहन PNB शाखा सिंहपुर,

क.स.	आ0स0	रकबा (है0)	किस्म
1	641	0.18	पडत 2
2	643／2	0.11	चाही 1
3	644	0.38	चाही 2
4	642／2	0.14	चाही 1
5	645	0.11	पडत 2
6	646	0.04	पडत 2
7	655	0.04	चाही 3
8	656	0.04	बारानी 2
9	657／2	0.5175	पडत 2
योग	कुल किता–09	1.5575	

3. जमनालाल पुत्र पृथ्वीराज हिस्सा 1／4 जाति ओड सा. देह खातेदार, बद्रीलाल पुत्र पृथ्वीराज हिस्सा 1／4 जाति ओड सा0 देह खातेदार, देऊबाई पुत्री पृथ्वीराज हिस्सा 1／4 जाति ओड सा0 देह खातेदार, मेहताबी पत्नी स्व0 पृथ्वीराज हिस्सा 1／4 जाति ओड सा0 देह खातेदार,

क.स.	आ0स0	रकबा (है0)	किस्म
1	642／1	0.15	चाही 1
2	643／1	0.20	चाही 1

सहायक कलक्टर
कपासन

3	629	0.21	बारानी 2
4	630	0.11	चाही 3
5	631	0.08	चाही 3
6	660	0.30	चाही 3
7	657/3	0.5075	पडत 2
योग	कुल किता–07	1.5575	

4. शंकरलाल पुत्र लक्ष्मण हिस्सा 1/2 जाति ओड सा. देह खातेदार रहन चित्तौड़गढ़ सहकारी भूमि विकास बैंक शाखा कपासन, हीरालाल पिता लक्ष्मण हिस्सा 1/2 जाति ओड सा0 देह खातेदार रहन बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा पाण्डोली स्टेशन

क.स.	आ0स0	रकबा (है0)	किस्म
1	661	0.48	चाही 3
2	664	0.28	बारानी 2
3	657/5	0.7975	पडत 2
योग	कुल किता–03	1.5575	

5. उदयलाल पिता गोपीलाल जाति ओड हिस्सा 255/1276 सा0 औडो का खेडा भूपालसागर खातेदार, गणीकुमार पुत्री केशुराम जाति ओड हिस्सा 16/319 सा0 देह खातेदार, जमनालाल पुत्र पृथ्वीराज हिस्सा 1/16 जाति ओड सा. देह खातेदार, टमु पुत्री मोड़ा जाति ओड हिस्सा 1/16 सा0 देह खातेदार रहन PNB शाखा सिंहपुर, देऊबाई पुत्री पृथ्वीराज हिस्सा 1/16 जाति ओड सा0 देह खातेदार, बद्रीलाल पुत्र पृथ्वीराज हिस्सा 1/16 जाति ओड सा0 देह खातेदार, गेहताबी पत्नी स्व0 पृथ्वीराज हिस्सा 1/16 जाति ओड सा0 देह खातेदार, रतनलाल पिता मोड़ा जाति ओड हिस्सा 3/16 जाति ओड सा. देह खातेदार रहन PNB शाखा सिंहपुर, शंकरलाल पुत्र लक्ष्मण हिस्सा 1/8 जाति ओड सा. देह खातेदार रहन चित्तौड़गढ़ सहकारी भूमि विकास बैंक शाखा कपासन, हीरालाल पिता लक्ष्मण हिस्सा 1/8 जाति ओड सा0 देह खातेदार रहन बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा पाण्डोली स्टेशन

क.स.	आ0स0	रकबा (है0)	किस्म
1	742/624	0.06	पडत 2
2	659/2	0.0564	चाही 1
3	657/1	0.0336	पडत 2
योग	कुल किता–03	0.15	

तदनुसार अंकन हो। रहन बदस्तुर रहे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगें, अंतिम पर्चा डिक्री जारी हो व पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 17.09.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मणीलाल तीरगर)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक), कपासन